भारत सरकार मुद्रणालय.....
के दिनांक.....को प्राप्त। 14-3-02,
3311

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/99

REGD. NO. D. L.-33001/99

प्रभारी
पत्र वितरण एकक

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O-215
KM-15
15.2.2001

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 2002/माघ 27, 1923
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 2002/MAGHA 27, 1923

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रभारी
रा० वि० एकक

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना (गैस्टेटनर आपरेटर और सफाई वाला एवं फराश) भर्ती नियम, 1982 को जहां तक उनका संबंध सफाई वाला एवं फराश के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में सफाई वाला-सह-फराश के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना (सफाई वाला-सह-फराश) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सफाई वाला-सह-फराश	12* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' (अराजपत्रित)	रु. 2550-55-2660-60-3200	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
वांछनीय : प्राथमिक कक्षा उतीर्ण हो	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) **(अ) उत्तरी क्षेत्र के लिए :** 1. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान या उप निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना (केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक द्वारा यथा नामनिर्देशित)—अध्यक्ष 2. उप निदेशक (उत्तर/परीक्षा) हिन्दी शिक्षण योजना—सदस्य 3. किसी अन्य विभाग/संगठन से एक राजपत्रित अधिकारी—सदस्य **(आ) अन्य क्षेत्रों के लिए :** 1. संबंधित क्षेत्र का उपनिदेशक —अध्यक्ष 2. संबंधित क्षेत्र का सहायक निदेशक —सदस्य 3. किसी अन्य विभाग/संगठन से भारत सरकार का एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 14034/43/98-रा.भा.(प्रशिक्षण)]

एस. रमणन, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II खंड 3 (i) में सा.का.नि. 45, दिनांक 8 जनवरी, 1983 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 31st January, 2002

G. S. R. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Official Language Gestetner Operator and Safaiwala-cum-Farash, (Hindi Teaching Scheme) Recruitment Rules, 1982, in so far as they relate to the post of Safaiwala-cum-Farash, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Safaiwala-cum-Farash in the Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme (Safaiwala-cum-Farash) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule hereto annexed.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection cum-senority or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6
Safaiwala-cum-Farash	12* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D' (Non-Gazetted)	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Between 18 to 25 years **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	**Desirable** : Primary Standard Pass.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee (for confirmation) **(A) For Northern Region :** 1. Administrative Officer, Central Hindi Training Institute or Deputy Director, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme (as nominated by Director, Central Hindi Training Institute.)—Chairman 2. Deputy Director (North/Examination) Hindi Teaching Scheme —Member 3. A Gazetted Officer from some other Department/ Organisation —Member **(B) For Other Regions :** 1. Deputy Director of the respective region—Chairman 2. Assistant Director of the respective region—Member 3. Any Gazetted Officer of the Government of India from some other Department/Organisation —Member	Not Applicable

[F. No. 14034/43/98-OL (Trg)]

S. RAMANAN, Under Secy.

Foot Note.—The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section (3), Sub-section (i), vide GSR 45 dated 8th January, 1983.

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, हिन्दी शिक्षण स्कीम (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम 1979 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग (अनुसंधान सहायक-हिन्दी भाषा) हिन्दी शिक्षण योजना भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, हिन्दी शिक्षण स्कीम (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी; अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान सहायक (हिन्दी भाषा)	05* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	रु.5500-175-9000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 5000—8000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 4500—7000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :— **आवश्यक** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य, और (ii) हिन्दी में शब्दावली कार्य का या अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी, या हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का दो वर्ष का अनुभव।

12
सशस्त्र बल कर्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति, पुनर्नियोजन : कनिष्ठ कमीशण्ड अधिकारी के रैंक के ऐसे सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित हो गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के निबंधनों पर की जाएगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवार्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन।) (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) : 1. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष 2. अवर सचिव, राजभाषा विभाग —सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना तब आवश्यक है जब अन्य व्यक्तियों के साथ सशस्त्र बल कार्मिक, प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन के लिए चयन के क्षेत्र में हो।

[फा. सं. 14034/18/99-रा.भा.(प्रशि.)]

एंस. रमणन, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 618, तारीख 28 अप्रैल, 1979 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

New Delhi, the 6th February, 2002

G. S. R. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Hindi Teaching Scheme, (Research Assistant) Recruitment Rules, 1979 namely :—

(1) (i) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Insititute (Research Assistant—Hindi Language) Hindi Teaching Scheme Recruitment (Amendment) Rules, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) In the Ministry of Home Affairs, Hindi Teaching Scheme, (Research Assistant) Recruitment Rules, 1979, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection, merit or selection-cum-seniority or non-selection posts	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Research Assistant (Hindi Language)	05*(2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not applicable

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for Armed forces Personnel re-employed

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By deputation For Armed Forces Personnel Deputation/re-employment	**Deputation :** Officers under the Central Government :— (a) (i) holding the analogous posts on regular basis; or (ii) with three years' regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; or (iii) with six years' regular service in posts in the scale of Rs. 4500-7000 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : **Essential :** (i) Master's degree of recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level. OR

12
Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level. OR Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level. (ii) Two year's experience in terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature. OR Two year's experience of teaching, research, writing or journalism, in Hindi. **For Armed Forces Personnel Deputation/re-employment :** Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment shall be on re-employment terms. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) : 1. Director, Central Hindi Training Institute —Chairman 2. Under Secretary, Department of Official Language —Member 3. Administrative Officer, Central Hindi Training Institute —Mamber	Consultation with Union Public Service Commission necessary when an Armed Forces Personnel among others is in the field of selection for deputation/re-employment.

[F. No. 14034/18/99-OL (Trg.)]

S. RAMANAN, Under Secy.

Foot Note :—The Principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (i) vide G.S.R. 618, dated 28-4-1979.

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में अनुसंधान सहायक (हिन्दी टंकण/आशुलिपि) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान (अनुसंधान सहायक—हिन्दी टंकण/आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निर्हता** : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान सहायक (हिन्दी टंकण/ आशुलिपि)	2* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रु. 5500-175-9000	चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों और सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा। सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए (प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन)	**प्रोन्नति:**—ऐसे आशुलिपिक श्रेणी ''ग'' जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे आशुलिपिक श्रेणी ''ग'' जिन्होंने आशुलिपिक श्रेणी ''ग'' और आशुलिपिक श्रेणी ''घ'' के रूप में कुल मिलाकर दस वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण:**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:**—केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 5000-8000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंन 4500-7000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है, या (iv) जिन्होंने 4000-6000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास हिन्दी टंकण/आशुलिपि में पांच वर्ष का अनुभव है। **सशस्त्र बल के कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:—** सशस्त्र बल के जूनियर कमीशंड आफिसर या समतुल्य रैंक के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन हो जाता है तो उस तारीख तक उसे प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। ऐसे पात्र अधिकारियों की दशा में उस पद पर वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, उसकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

(12)	
	(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकरी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह ''ख'' विभागीय प्रोन्नति समिति (सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कार्मिकों की प्रोन्नति/स्थायीकरण के संबंध में विचार करने के लिए।) 1. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान — अध्यक्ष 2. अवर सचिव, राजभाषा विभाग — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से तब परामर्श करना आवश्यक है जब अन्य व्यक्तियों के साथ सशस्त्र बल के कार्मिक प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिए चयन क्षेत्र के अंतर्गत आते हों।

[फा. सं. 14034/18/99-रा. भा.(प्रशि.)]

एस. रमणन, अवर सचिव

New Delhi, the 6th February, 2002

G.S.R. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Assistant (Hindi Typing/ Stenography in the Central Hindi Training Institute) Department of Official Language, Ministry of Home affairs, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Research Assistant—Hindi Typing/Stenography) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications.**—The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient do so, to it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-selection post
1	2	3	4	5
Research Asssistant (Hinid Typing/ Stenography	2* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 5500-175-9000	Selection-cum- seniority

Age limit for direct recruits	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation / absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
10	11	12
Two Years for promotees and Armed Forces personnel re-employed	50% by promotion failing which by deputation. 50% by deputation. For Armed Forces Personnel (deputation/re-employment.)	**Promotion:** Stenographer Garde "C" with six years reular service in the grade failing which stenographer Grade 'C' with combined regular service of ten years as Stenographer Grade 'C' and Stenographer Grade 'D'. **Note :** Where juniors who have completed their qulifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service of two years, whichever is less, and have sucessfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

12
Deputation : Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) with three years' regular service in posts in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; or (iii) with six years regular service in posts in the scale of Rs. 4500-7000 or equivalent; or (iv) with ten years regular service in posts in the scale of Rs. 4000-6000 or equivalent; and (b) possessing five years experience in Hindi Typing/ Stenography. **For Armed Forces Personnel :** **Deputation/re-employment** Armed forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Offcer or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on re-employment basis. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post in made, their appointment shall be on re-employment terms. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts.) The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion/confirmation of Armed Forces Personnel re-employed) 1. Director, Central Hindi Training Institute —Chairman. 2. Under Secretary, Department of Official Language —Member. 3. Administrative Officer, Central Hindi Training Institute —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary when an Armed Forces Personnel among others is in the field of selection for deputation/re-employment.

[F. No. 14034/18/99-OL(Trg.)]
S. RAMANAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 49—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखाकार से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 1988 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी; अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सफाईवाला	532* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित)	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. एक लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक महालेखाकार/ सहायक निदेशक, प्रशासन का भारसाधक 2. दो लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी उस कार्यालय से बाहर का होगा जहां पुष्टि के संबंध में विचार किया जा रहा हो। **टिप्पण:**—ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. वाटरमैन	78* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित)	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. एक लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक महालेखाकार/ सहायक निदेशक, प्रशासन का भारसाधक 2. दो लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी उस कार्यालय से बाहर का होगा जहां पुष्टि के संबंध में विचार किया जा रहा हो। **टिप्पण :**—ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. चौकीदार	761* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''घ'' (अराजपत्रित)	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
वांछनीय किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ख) सशस्त्रबल में अनुभव या होमगार्ड या नागरिक सुरक्षा में बुनियादी और पुनरचर्चा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण सहित होमगार्ड या नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप मे तीन वर्ष की सेवा।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. एक लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक महालेखाकार/सहायक निदेशक, प्रशासन का भारसाधक 2. दो लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी, जिनमे से एक अधिकारी उस कार्यालय से बाहर का होगा जहां पुष्टि के संबंध में विचार किया जा रहा हो। **टिप्पण:**—ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. माली	53* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''घ'' (अराजपत्रित)	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक बागवानी कार्य करने का अनुभव। **टिप्पण:**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) नियुक्ति प्राधिकारी/विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रकम पर नियुक्ति प्राधिकारी/की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सभावना नहीं है। **वांछनीय:**—किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवी कक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. एक लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक महालेखाकार/सहायक निदेशक, प्रशासन का भारसाधक 2. दो लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी जिनमे से एक अधिकारी उस कार्यालय से बाहर का होगा जहां पुष्टि के संबंध में विचार किया जा रहा हो। **टिप्पण:**—ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. फराश	48* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित)	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
वांछनीय किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसे सफाई वाले (संगठन में) से आमेलन, जो नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. एक लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक महालेखाकार/ सहायक निदेशक, प्रशासन का भारसाधक 2. दो लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी जिनमे से एक अधिकारी उस कार्यालय से बाहर का होगा जहां पुष्टि के संबंध में विचार किया जा रहा हो। **टिप्पण:**—ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चपरासी	3489* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित)	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। (क) होमगार्ड या नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ; और (ख) होमगार्ड या नागरिक सुरक्षा में बुनियादी और पुनरचर्चा पाठ्यक्रम।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

(11)	(12)
आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण** : चपरासी के पद पर नियुक्ति के पश्चात् होमगार्ड में प्रशिक्षण प्राप्त करना बाध्यकर होगा सिवाय ऐसे व्यक्तियों की दशा में जो ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने में असुविधाग्रस्त हैं।	आमेलन (क) 25 प्रतिशत पद समतुल्य वेतनमान में से सफाईवाला, फराश, चौकीदार की श्रेणी और अन्य समूह 'घ' कर्मचारियों में से (उस संगठन में जहां रिक्तियां प्रोद्भूत होती हैं), जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है या किसी भी श्रेणी में 5 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की है और जिसके पास कम से कम आरम्भिक साक्षरता है और जो अंग्रेजी या हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने में समर्थ होने का सबूत देता है। (ख) 75 प्रतिशत पद समतुल्य वेतनमान में ऐसा सफाईवाला, फराश, चौकीदार की श्रेणी और ऐसे अन्य समूह 'घ' कर्मचारियों में से (उस संगठन में जहां रिक्तियां प्रोदभूत होती हैं), जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. एक लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक महालेखाकार/ सहायक निदेशक, प्रशासन का भारसाधक 2. दो लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी उस कार्यालय से बाहर का होगा जहां पुष्टि के संबंध में विचार किया जा रहा है। **टिप्पण:**—ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. ज्येष्ठ चपरासी	99* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित)	2610-60-2910-65-3300-4000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा चपरासी, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :**—यदि किसी अधिकारी का प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो तो उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्ति पर इस बात के होते हुए भी विचार किया जाएगा कि उन्होंने प्रोन्नति के लिए पोषक प्रवर्ग में अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की है; परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. एक लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक महालेखाकार/ सहायक निदेशक, प्रशासन का भारसाधक 2. दो लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी उस कार्यालय से बाहर का होगा जहां पुष्टि के संबंध में विचार किया जा रहा हो। टिप्पण :—ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।	**लागू नहीं होता**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. दफ्तरी	993* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित)	रु. 2610-60-2910-65-3300-4000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय :** फाइलों की सिलाई और जिल्दसाजी कार्य का अनुभव	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा चपरासी, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण :**—यदि किसी अधिकारी का प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो तो उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्ति पर इस बात के होते हुए भी विचार किया जाएगा कि उन्होंने प्रोन्नति के लिए पोषक प्रवर्ग में अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की है; परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा, अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. एक लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक महालेखाकार/ सहायक निदेशक, प्रशासन का भारसाधक 2. दो लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी, जिनमें से एक अधिकारी उस कार्यालय से बाहर का होगा जहां पुष्टि के संबंध में विचार किया जा रहा हो। **टिप्पण:**—ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. कनिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर	88* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''घ'' (अराजपत्रित)	रु. 2610-60-2910-65-3300-4000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय :** अनुलिपित्र मशीन और इलैक्ट्रिक स्टेंसिल कटर के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(11)	(12)
आमेलन, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आमेलन :** ऐसा दफ्तरी/ज्येष्ठ चपरासी जिसे अनुलिपित्र मशीन और इलैक्ट्रिक स्टेंसिल कटर के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता है। **प्रोन्नति :** ऐसा चपरासी, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हैऔर जिसे अनुनिपित्र मशीन और इलैक्ट्रिक स्टेंसिल कटर के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रवीणता है। **टिप्पण :**—यदि किसी अधिकारी का प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो तो उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्ति पर इस बात के होते हुए भी विचार किया जाएगा कि उन्होंने प्रोन्नति के लिए पोषक प्रवर्ग में अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की है; परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई सेवा अपेक्षित अर्हक सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो।

(13)	(14)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. एक लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहायक महालेखाकार/सहायक निदेशक, प्रशासन का भारसाधक 2. दो लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी जिनमें से एक अधिकारी उस कार्यालय से बाहर का होगा जहां पुष्टि के संबंध में विचार किया जा रहा हो। **टिप्पण:**—ज्येष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-1/2018/10/99-इजी]

एन. पी. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 30th January, 2002

G.S.R. 49.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to amend the Indian Audit and Accounts Department (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Audit and Accounts Department (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988 for the schedule, the following schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Safaiwala	532* (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted)	Rs. 2550-55-2660-60-3200/-	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
8	9	10
Desirable : Fifth standard pass from a recognised school.	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and per-centage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption/grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its, composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
13	14
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : (i) An Audit Officer/Accounts Officer/Assistant Accountant General/ Assistant Director-in-charge of administration. (ii) Two Audit Officers/Accounts Officers of which one officer will be from an office other than the one in which confirmation are considered. **Note :** The senior most officer will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. Water Man	78* (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted)	Rs. 2550-55-2660-60-3200/-	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	**Desirable :** Fifth standard pass from a recognised school.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : (i) An Audit Officer/Accounts Officer/Assistant Accountant General/ Assistant Director-in-charge of administration. (ii) Two Audit Officers/Accounts Officers of which one officer will be from an office other than the one in which confirmation are considered. **Note :** The senior most officer will be the Chairman.	Not applicable
3. Chowkidar	761* (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted)	Rs. 2550-55-2660-60-3200/-	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.							

8	9	10
Desirable : Fifth standard pass from a recognised school; and (b) Experience in Armed Forces or three years service as Home Guard or Civil Defence Volunteer with training in Basic and Refresher course in Home Guard or Civil Defence.	Not applicable	Two years

11	12
By direct recruitment	Not applicable

13	14
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— (i) An Audit Officer/Accounts Officer/Assistant Accountant General/ Assistant Director-in-charge of administration. (ii) Two Audit Officers/Accounts Officers of which one officer will be from an office other than the one in which confirmation are considered. **Note :** The senior most officer will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
4. Mali	53* (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted)	Rs. 2550-55-2660-60-3200/-	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

8	9	10
Essential : Experience in gardening **Note :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Appointing Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if at any stage of selection it is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable :** Fifth standard pass from a recognised school.	Not applicable	Two years

11	12
By direct recruitment	Not applicable

13	14
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— (i) An Audit Officer/Accounts Officer/Assistant Accountant General/ Assistant Director-in-charge of administration. (ii) Two Audit Officers/Accounts Officers of which one officer will be from an office other than the one in which confirmation are considered. **Note :** The senior most officer will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
5. Farash	48* (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted)	Rs. 2550-55-2660-60-3200/-	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

8	9	10
Desirable : Fifth standard pass from a recognised school.	Not applicable	Two years for direct recruits.

11	12
Absorption, failing which by direct recruitment.	Absorption from Safaiwala (in the organisation) appoined on regular basis.

13	14
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— (i) An Audit Officer/Accounts Officer/Assistant Accountant General/ Assistant Director-in-charge of administration. (ii) Two Audit Officers/Accounts Officers of which one officer will be from an office other than the one in which confirmation are considered. **Note :** The senior most officer will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
6. Peon	3489* (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted)	Rs. 2550-55-2660-60-3200/-	Not applicable	Not applicable	Between 18 and 25 years. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

8	9	10
Essential : Eighth standard pass from a recognised School/ Board. **Desirable :** (a) 3 years service as Home Guard or Civil Defence Volunteer; and (b) Training in Basic and Refresher course in Home Guard or Civil Defence.	Not applicable	Two years for direct recruits.

11	12
Absorption, failing which by direct recruitment. **Note :** After appointment to the post of Peons, training in Home Guard will be obligatory, except in the case of those who are physically handicapped to undergo such training.	**Absorption :** (a) 25% of the posts from the grades of Safaiwala, Farash, Chowkidar and other Group 'D' employees (in the organisation in which vacancies arise) in the equivalent scale who have rendered 5 years regular service in the grade or combined regular service of 5 years in any of the grades and possess atleast elementary literacy and give proof of ability to read English or Hindi or a regional Language. (b) 75% of the posts from the grades of Safaiwala, Farash, Chowkidar and other Group 'D' employees (in the organisation in which vacancies arise) in the equivalent scale who possess the qualification prescribed for direct recruitment, failing which by direct recruitment.

13	14
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— (i) An Audit Officer/Accounts Officer/Assistant Accountant General/ Assistant Director-in-charge of administration. (ii) Two Audit Officers/Accounts Officers of which one officer will be from an office other than the one in which confirmation are considered. **Note :** The senior most officer will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
7. Senior Peon * Subject to variation dependent on workload.	99* (2002) Service, Group 'D', (Non-Gazetted)	General Central 70-4000/-	Rs. 2610-60-2910-65-3300-	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Nil

11	12
By promotion	**Promotion :** Peon with three years regular service in the grade. **Note :** If an officer is considered for promotion all persons senior to him/her shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite qualifying service in the feeder cadre for promotion provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service two years, whichever is less.

13	14
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : (i) An Audit Officer/Accounts Officer/Assistant Accountant General/ Assistant Director-in-charge of Administration. (ii) Two Audit Officers/Accounts Officers of which one officer will be from an office other than the one in which confirmation are considered. **Note :** The senior most officer will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
8. Daftri	993* (2002) * Subject / to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted)	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000/-	Non Selection	Not applicable	Between 18 and 25 years. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

8	9	10
Essential : Eighth standard pass from a recognised School/ Board. **Desirable :** Experience in stiching of files and binding work.	Not applicable	Two years for direct recruits.

11	12
Promotion, failing which by direct recruitment.	**Promotion :** Peon with three years regular service in the grade. **Note :** If an officer is considered for promotion all persons senior to him/her shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite qualifying service in the feeder cadre for promotion provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such two years, whichever is less.

13	14
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of: (i) An Audit Officer/Accounts Officer/Assistant Accountant General/ Assistant Director-in-charge of administration. (ii) Two Audit Officers/Accounts Officers of which one officer will be from an office other than the one in which confirmation are considered. **Note :** The senior most officer will be the Chairman.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
9. Junior Gestetner Operator	88* (2002) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', (Non-Gazetted)	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000/-	Non selection	Not applicable	Between 18 and 25 years. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

8	9	10
Essential : Eighth standard pass from a recognised School/Board. **Desirable:** Profiency in operating and maintaining duplicating machine and electric stencil cutter.	Non-Selection	Two years for direct recruits.

11	12
Absorption, failing which by promotion and failing both by direct recruitment.	**Absorption :** Daftri/Senior Peon who have proficiency in operating and maintaining duplicating machine and electric stencil cutter. **Promotion :** Peon with three years regular service in the grade who have proficiency in operating and maintaining duplicating machnine and electric stencil cutter.

		12
		Note : If an officer is considered for promotion all persons senior to him/her shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the requisite qualifying service in the feeder cadre for promotion provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less.
13		14
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :		Not applicable
(i) An Audit Officer/Accounts Officer/Assistant Accountant General/ Assistant Director-in-charge of administration.		
(ii) Two Audit Officers/Accounts Officers of which one officer will be from an office other than the one in which confirmation are considered.		
Note : The senior most officer will be the Chairman.		

[F. No. A-12018/10/99-EG]

N. P. SINGH, Under Secy.

योजना आयोग

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और योजना आयोग, कलाकार (चार्ट और मानचित्र एकक) भर्ती नियम, 1985 को, जो भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार, योजना आयोग की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 787 तारीख 24 अगस्त, 1985, द्वारा प्रकाशित हुए थे, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, योजना आयोग में कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग, कलाकार भर्ती नियम, 2002 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि :**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
कलाकार	2* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	4500-125-7000 रुपये	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्षों के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		प्रतिनियुक्ति/आमेलन			
		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	
8		9	10	11	
(1) मैट्रिक या समतुल्य (2) नक्शानवीसी/इंजीनियरी/कला/वाणिज्यिक कला या चित्रकारी/वास्तुकला में डिप्लोमा या समतुल्य । (3) सरकारी कार्यालय या ख्यातिप्राप्त प्राइवेट समुत्थान में नक्शानवीस के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण:** 1 रेखाचित्र कला सहित कम्प्यूटर उपयोजन के लिए पैकेज की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को अधिमानता दी जाएगी।		लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	

8
टिप्पण : 2 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
टिप्पण : 3 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
प्रतिनियुक्ति :—केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या (2) जिन्होंने 4000-6000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। **आमेलन :** (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (2) जिन्होंने 4000-6000 रु. के वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव है ।	चयन और पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधी भर्ती को छोड़कर) (क) प्रशासन के प्रभारी निदेशक/उप सचिव—अध्यक्ष (ख) अवर सचिव (साधारण प्रशा.)—सदस्य (ग) अवर सचिव (प्रशा.)—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. ए-12018/1/2001-प्रशा. II]

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 1st February, 2002

G.S.R. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission, Artist (in the Charts and Maps Unit) Recruitment Rules, 1985 published vide GSR 787 dated 24th August, 1985, in the Government of India, Planning Commission in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist in the Planning Commission, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Planning Commission, Artist Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Artist	2* (2002) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000.	Not applicable	No	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Governmt servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union

7
territory of the Anadaman and Nicobar Islands and the Union territory of Lakshadweep).

Educational and other qualifications for direct recruit	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will Apply in the case of promotees	Period of probation if any
8	9	10
(i) Matriculation or equivalent (ii) Diploma in Draughtsmanship/Engineering/ Arts, Commercial Art or Painting/ Architecture or equivalent. (iii) Three years experience as a Draughtsman in a Government office or private concern of repute. **Note : 1** Preference will be given to those familiar with packages for Computer applications including graphics. **Note : 2** Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise will qualified. **Note : 3** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/competent authority in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, for reasons to be recorded in writing, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years

Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Deputation/Absorption failing which by Direct Recruitment	**Deputation :** From amongst Central Govenment officers (i) holding analogous posts on a regular basis or (ii) with five years of regular service in the posts carrying scale of pay of Rs. 4000-6000 and

11	12
	possessing experience as prescribed for direct recruits under column 8. (Period of deputation including the period of deputation, if any in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Govenment shall ordinarily not exceed three years.) **Absorption** (i) holding analogous posts on a regular basis or (ii) with five uears of regular service in the posts carrying scale of pay of Rs. 4000-6000 and poossessing experience as prescribed for direct recruits under column 8.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group "C" Departmental Promotin Committee for Selection (for other than Direct Recruitment) and for confirmation ? (a) Director/Deputy Secretary in Charge of Administration : —Chairman (b) Under Secretary (General Administration) —Member (c) Under Secretary (Administration) —Member	Not applicable

[No A-12018/1/2001-Admn. II]

K. K. CHHABRA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) और कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम 1981 को, जिनका संबंध कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे/उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन)	3* (तीन) (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200-10500/- रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।
8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13	14
प्रतिनियुक्ति :—(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) (1) केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जिसके न हो सकने पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-175-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हैं, या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-150-8000रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव है :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। (ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या रक्षा कार्य अध्ययन संस्थान से उच्च प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। या जिनके पास कार्य अध्ययन/संगठन और पद्धति/विश्लेषण/सांख्यिकी/संक्रिया अनुसंधान और अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकी के उपयोजन में कम से कम दो वर्ष का अनुभव है। या जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान का बुनियादी प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से समतुल्य प्रशिक्षण सफतापूर्वक पूरा किया हो और जिनके पास कार्य अध्ययन/संगठन और पद्धति/विश्लेषण/सांख्यिकी/संक्रिया अनुसंधाान और अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकों के उपयोजन में एक वर्ष का अनुभव है। प्रतिनियुक्ति की अवधि/संविदा जिसमें प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि भी है, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है जब केन्द्रीय सरकार से भिन्न अधिकारी भी उस क्षेत्र में हो।

[फा. सं. ए-12018/2/99-स्था.-I]

डा. अनिल कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 24th January, 2002

G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare Senior Analyst (Work Study) and Junior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the posts of Junior Analyst (Work Study), respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst (Work Study) in the Ministry of Health and Family Welfare, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare Junior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating there to shall be specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Junior Analyst (Work Study)	3* (Three) (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10500	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Deputation (including short-term contract)	Deputation (including short-term contract) :—
	(I) Officers under the Central Government failing which officers under the State Government/Union Territory/Recognised Research Institution/Public Sector Undertaking/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organisations :
	(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre/ Department; or
	(ii) with three years' regular service in posts in the scale of Rs. 5500-175-9000 or equivalent in the parent Cadre/Department; or
	(iii) with six years' regular service in the posts in the scale of Rs. 5000-150-8000 or equivalent in the parent Cadre/Department; and
	(b) Possessing the following qualifications and experience:—
	(i) Degree from a recognised University or equivalent;
	(ii) Have sucessfully completed the Advanced Management Service Course of the Institute of Secretariat Training and Management or Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other recognised institution.
	OR
	Have atleast two years experience in the application of Work Study/Organisation and Methods/Analytical/Statistical/ Operations/Research and other management research techniques.
	OR
	Have sucessfully completed the basic management services course of the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training in any other recognised institution and have one years' experience in the application of Work Study/ Organisation and Methods/Analytical/Statistical/Operations research and other management research techniques.

	12
	(Period of deputation/contract including period of deputation/ contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years). (The maximum age limit for appointment by deputation/contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary when the field consists of officers other than Central Government also.

[F. No. A-12018/2/99-Estt. I]

DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (मादक द्रव्य उपचार कार्यक्रम) सहायक कार्यक्रम अधिकारी भर्ती नियम 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक कार्यक्रम अधिकारी (मादक द्रव्य उपचार कार्यक्रम) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहायक कार्यक्रम अधिकारी (मादक द्रव्य उपचार कार्यक्रम) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाऔर अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक कार्यक्रम अधिकारी (मादक द्रव्य उपचार कार्यक्रम)	1*(एक) (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	7450-225-11500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा
11	12
प्रतिनियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति :—** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की है, या (iii) वर्तमान काडर/विभाग में 5500-9000 रु. के समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य। (ii) किसी स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम में दो वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.-12018/1/2001-स्था.-I]
डा. अनिल कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th February, 2002

G.S.R. 52—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare (Drug De-addiction Programme) Assistant Programme Officer Recruitment Rules, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Programme Officer (Drug De-addiction Programme) in the Ministry of Health and Family Welfare, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare Assistant Programme Officer (Drug De-addiction Programme) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward clases the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Assistant Programme Officer (Drug De-addiction Programme)	1* (One) (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 7450-225-11500	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Deputation	Deputation Officers under the Central Government :— (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent Cadre/ Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500; or equivalent in the parent cadre/Department; or (iii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:— (i) Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent; (ii) Two years' experience in any health related programme (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years). (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of aplications).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
B	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[F. No. A-12018/1/2001-Estt. I]
DR. ANIL KUMAR, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) सा.का.नि. 851 दिनांक 12-9-1986 केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी (कृषि और सहकारिता विभाग) समूह "ख" (अराजपत्रित) पद भर्ती नियम, 1986 जहां तक उसकी अनुसूची-1 के क्रम संख्या 1 से 3 तक उल्लिखित पदों से संबंधित है (ii) सा.का.नि. 1015 दिनांक

14-10-1985 केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण संस्थान, बुदनी, फोरमेन (कर्मशाला) भर्ती, नियम, 1985 एवं (iii) सा.का.नि. 290 दिनांक 16-4-1990 केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी, (कृषि और सहकारिता विभाग)समूह ''ग'' और ''घ'' भर्ती नियम, 1990 जहां तक उसकी अनुसूची 1 के क्रम संख्या 1 पर दिए गए पदों से संबंधित है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों को संक्षिप्त नाम केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, बुदनी, (कृषि और सहकारिता विभाग)समूह ''ख'' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि :**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त/अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता :**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति :**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

(सं. लो. से. आ. फा. नं. एफ. 3/7(1)/2001आर. आर.)

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रुपये	योग्यता के आधार पर चयन या चयन सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा
1	2	3	4	5	6	7
(1) ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (उपकरण)	1* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय।	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं*	नहीं

***टिप्पणी1 :**—केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष की शिथिलता की जा सकती है।

टिप्पणी2 :— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहत की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : इलैक्ट्रानिक/इन्स्ट्रूमेण्टेशन तकनीकी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्थान से स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से इलेक्ट्रानिक/इन्स्ट्रूमेण्टेशन तकनीकी में डिप्लोमा के साथ स्वचालित व नियंत्रण के इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रचालन, संस्थापन, अंशशोधन और अनुरक्षण का 3 वर्ष का अनुभव **वांछनीय :-** डिग्रीधारक के लिए स्वचालित मापन व नियंत्रण के इलैक्ट्रानिक उपकरणों के प्रचालन, अंशशोधन और अनुरक्षण का अनुभव **टिप्पण** 1 :-अभ्यर्थी के अन्यथा सु अर्हत पाए जाने पर कर्मचारी चयन आयोग विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2 :-** अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार छूट दे सकेगा। अनुसूची जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में यदि किसी अवस्था अथवा चयन में कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पदों के लिए अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो उनके लिए निर्धारित अनुभव में ढील दे सकता है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन :—** 1. अधिकारी केन्द्रीय सेवा में है— (क) (i) सदृश पद पर नियमित सेवा मूल संवर्ग/विभाग में हो अथवा (ii) रुपए 4500-7000 के वेतनमान या समान वेतनमान के पद पर नियुक्ति उपरान्त 6 वर्ष नियमित सेवा मूल संवर्ग/विभाग में की है, और (ख) (i) सीधी भर्ती के लिए कॉलम 8 के अनुसार समतुल्य शैक्षणिक योग्यता व अनुभव रखता है। (ii) विभागीय उपकरण मेकेनिक-II, जिसने छः वर्ष सम्बन्धित ग्रेड में नियमित सेवा की है और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखता है, उसका नाम अन्य प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आवेदकों के साथ

12
विचार किया जा सकता है। यदि उनका चयन होता है तो यह प्रोन्नति पर भरा समझा जाएगा। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागिय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य काडर पर नियुक्ति पर संविदा की अवधि है साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह 'ख' अराजपत्रित विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिवरण के लिए) 1. निदेशक-अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशी.)-सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य 4. बुदनी संस्थान के प्रभाग का प्रधान-सदस्य	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन की नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
(2) ज्येष्ठ तकनीकी सहायक	10* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" (राजपत्रित) अननुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं	नहीं

टिप्पणी-1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष की शिथिलता की जा सकती है।

टिप्पणी-2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लददाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8	9	10
आवश्यक : यांत्रिकी/कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री **टिप्पण** :1 अभ्यर्थी अन्यथा सुअर्हत पाए जाने पर कर्मचारी चयन आयोग विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12	13	14
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ख' अराजपत्रित विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिवरण के लिए) 1. निदेशक -अध्यक्ष 2. अवर सचिव (मशी.) -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य 4. बुदनी संस्थान के प्रभाग का प्रधान -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं ।

1	2	3	4	5	6	7
(3) कार्यालय अधीक्षक	1* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ख'' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति उपयुक्तता खण्ड कार्यालय अधीक्षक पदोन्नत ग्रेड के वेतनमान रु. 5500-9000 पर नियमित पद के धारक को योग्यता का प्रारम्भिक आकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि आंकलन उपयुक्तता के अनुरूप पाया जाता है तो उन्हे प्राथमिक रूप में संरचना नियुक्ति किए पद पर समझा जाएगा। यदि आंकलन में पदोन्नत ग्रेड के पद के नियुक्ति के अयोग्य पाया जाता है तो वे संशोधित वेतनमान रु. 5000-8000 पर कार्य करते रहेंगे और उनके मामले में समीक्षा प्रतिवर्ष की जायेगी।

12	13	14
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के अधिकारी जो (क)(i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हैं। (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतनमान रु. 5000-8000 या इसके समकक्ष पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख)(i) लेखानुभाग और स्थापना संबंधी कार्य का अनुभव है 2. विभागीय सहायक कार्यालय अधीक्षक, जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की है अन्य प्रतिनियुक्ति आवेदक के साथ उनके नाम पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन होता है तो प्रोन्नति आधार पर चयन समझा जायेगा। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य काडर पर नियुक्ति पर संविदा की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 12-3/2000-मशीनरी प्रशासन]
येशी छेरिंग, निदेशक (मशीनरी)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 22nd January, 2002

G.S.R. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (I) G.S.R. 851 dated 12th September, 1986. The Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 1986 in so far as it relates to the posts at Serial No. 1 to 3 of schedule 1 therein; (II) G.S.R. 1015 dated 14th October, 1985 — Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni—Foreman (Workshop) Recruitment Rules, 1985; and (III) G.S.R. 290 dated 16th Arpil, 1990—Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni (Department of Agriculture and Cooperation) Group 'C' and 'D' Recruitment Rules, 1990 in so far as it relates to the posts at serial No. 1 of schedule 1 therein. Except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni (Department of Agriculture and Co-operation) Group ' B' (Non-Gazetted) posts Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.** —The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(UPSC File No. F.3/7(1)/2001-RR)

Name of the Post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible
1	2	3	4	5	6	7
(1) Senior Technical Assistant (Instrumentation)	01* (2001)	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not exceeding 30 years	No

*Subject to variation dependent on workload.

NOTE 1 :—Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government

NOTE 2 :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J & K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential : Degree in Electronics/Instrumentation Technology from a recognised University or equivalent OR Diploma in Electronics/Instrument technology from a recognised University/Institution or equivalent with 3 years' experience in operation, installation, calibration and maintenance of electronic instruments for automatic measurement and control. **Desirable :** **For Degree Holder:** Experience in operation, calibration and maintenance of electronic instruments for automatic measurement and control. **Note : 1.** Qualifications relaxable at the discretion of the SSC in case of candidates otherwise well qualified. **Note : 2.** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the descretion of the SSC. In the case of candidate belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes. If at any stage or selection the SSC is of the opinion that sufficient No. of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age : No E.Q. : Yes	Two years	Promotion/deputation/absorption failing which by direct recruitment

361GI/02—7.

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion/deputation/absorption : (1) Officers under the Central Govt. :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/deptt; OR (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 4500—7000 or equivalent in the parent cadre/deptt; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 8. (ii) the departmental Instrument Mechanic-II with six years' regular service in the grade and possessing educational qualifications for direct recruit would be considered along with applicants for appointment on deputation/absorption basis. In case, he is selected the post shall be deemed to have been filled in by promotion. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/deptt. of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 3 years'. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (For Confirmation) :— 1. Director —Chairman 2. Under Secretary, (Machinery) —Member 3. Administrative Officer —Member 4. Head of the Division in the Institute, Budni —Member	Consultation with UPSC necessary while appointing a person on promotion/ deputation/absorption.

1	2	3	4	5	6	7
(2) Senior Technical Assistant	10* (2001)	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not exceeding 30 years	No

*Subject to variation dependent on workload.

NOTE 1 :—Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

NOTE 2 :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J & K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

8	9	10	11
Essential : Degree in Mechanical/ Agricultural Engineering. **Note : 1.** Qualifications relaxable at the discretion of the SSC in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years	Direct recruitment

12	13	14
Not applicable	Group 'B' Departmental Promotion Committee (For Confirmation) :— 1. Director —Chairman 2. Under Secretary, (Machinery) —Member 3. Administrative Officer —Member 4. Head of the Division in the Institute, Budni —Member	Consultation with UPSC not necessary

1	2	3	4	5	6	7
(3) Office Superintendent	01* (2001)	General Central Services, Group 'B' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not applicable	No

*Subject to variation dependent on workload.

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion/Deputation.— **Suitability Clause :** The suitability of the regular holder of the post of Office Supdt. will be initially assessed by the competent authority for appointment to the upgraded post

		11
		of Office Supdt. in the scale of Rs. 5500—9000. If assessed "suitable" he shall be deemed have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed "not suitable" for appointment to the upgraded scale pay he shall continue to be in the revised scale of Rs. 5000—8000 his case would be reviewed every year.

12	13	14
Promotion/Deputation : **Officers under the Central Govt.** (1) (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; OR (ii) With three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department; AND (b) Having experience of working in establishment and accounts section II. The departmental Asstt. Office Supdt. with three years' regualar service in the grade would be considered alongwith applicants for appointment on deputation terms. In case, he is selected the post shall be deemed have been filled by promotion. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation with UPSC necessary on each occasion

[F. No. 12-3/2000-My. (Admn.)]

Y. TSERING, Director (My.)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 54.—जबकि दिनांक 6 अक्तूबर, 2001 को भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 द्वारा अपेक्षित विमान (संशोधन) नियमावली, 2001 का मसौदा भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की दिनांक 19 सितम्बर, 2001 की जीएसआर 561 की अधिसूचना के साथ उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

तथा जबकि उक्त मसौदा नियमावली पर कोई आपत्तियाँ या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, जब उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विमान नियमावली, 1937 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामश :—

1. (1) इन नियमों को विमान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2002 कहा जा सकता है।

(2) वे सरकारी गजट में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विमान नियमावली, 1937 में, नियम 26 में, उप नियम (1) में, परंतुक में, उपबंध (घ) के लिए निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामश :—

"(घ) किसी भी स्थान पर मुद्रित सामग्री वाले कागज के अलग-अलग पत्रे या फूल की अलग-अलग पंखुडिंयाँ गिराना यदि—

(i) प्रत्येक मामले में जिलाधीश या पुलिस आयुक्त की लिखित पूर्व अनुमाति प्राप्त की गई हो ;

(ii) विमान इस प्रकार की वस्तुएँ गिराने के योग्य हो;

(iii) इन नियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुरक्षा ऊँचाई का अनुपालन किया गया हो ;

(iv) किसी भी व्यक्ति या सम्पत्ति को चोट या क्षति से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरती गई हों।"

[फा. सं. एवी.-11012/2/2001-ए]

एम. एस. चोपड़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य नियम, दिनांक 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1937 के भारत के राजपत्र के भाग 1 में प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुसार, दिनांक 16 नवम्बर, 1962 की जीएसआर 1567 द्वारा इनमें संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 4th February, 2002

G.S.R. 54.—Whereas the draft of the Aircraft (Amendment) Rules, 2001 was published as required by Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 6th October, 2001 with the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation No. GSR 561 dated the 19th September, 2001 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby ;

And whereas, no objection or suggestions hsve been received on the said deaft rules ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (1st Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 26, in sub-rule (1), in the proviso, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) the dropping of separate sheets of paper containing printed matter or separate petals of flowers in any place if—

(i) the prior written permission of the District Magistrate or the Commissioner of Police is obtained in each case;

(ii) the aircraft is suitable for dropping of these articles;

(iii) the minimum safe heights specified in these rules are observed; and

(iv) necessary precautions are taken to aviod injury or damage to persons or property."

[F. No. AV-11012/2/2001-A]

M. S. CHOPRA, Under Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Part I dated 27th March, 1937 vide notification No. V-26 23rd March, 1937, and subsequently amended by GSR 1567 dated 16 November, 1962.

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 55.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता (हिन्दी रूपांतर) भर्ती नियम, 1983 का अधिक्रमण करते हुए इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों तथा निकाले गए नियमों को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता में किनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद की भर्ती की पद्धति को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम, बनाते हैं, नामत:

1. (1) **लघु शीर्ष तथा प्रारंभ** (1) इन नियमों को पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इससे संबंधित वेतनमान इन नियमों से संलग्न तालिका के कालम 2 से 4 में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि.**—उक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त संलग्नक के कालम 5 से 14 में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यता.—कोई व्यक्ति नहीं:—**

(क) ऐसा व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी विवाह किया हो

इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि ऐसे विवाह से संस्तुष्ट हो कि यह विवाह उक्त व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू किसी व्यक्तिगत नियम के अंतर्गत अनुमेय हो तथा इस विवाह के लिए कोई अन्य आधार हो जिसके तहत व्यक्ति को इस नियम के तहत छूट दी जा सकती हो।

5. **छूट देने की शक्तियाँ.**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना अनिवार्य है अथवा समीचीन था, ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी व्यक्ति विशेष अथवा श्रेणी विशेष के व्यक्तियों को इन नियमों से छूट दे सकती है।

6. **शर्त.**—इन नियमों के अधीन कोई भी नियम, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व कार्मिक तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए छूट को प्रभावित नहीं करेगा।

अनूसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयनित अथवा चयन-सह-वरिष्ठता अथवा अचयनित पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत संवर्धित सेवा वर्षों का लाभ स्वीकार्य है
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1* (2002) *कार्यभार में परिवर्तन के आधार पर कम या अधिक हो सकती हैं।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हता लागू होगी	परीविक्षा, यदि कोई हो, की अवधि
7	8	9	10
27 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों तथा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट) **टिप्पणी**–1 आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि, भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर के लद्दाख मंडल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि) **टिप्पणी**–2 रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरे गए पदों के मामले में, प्रत्येक मामले में आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि वही होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी मुख्य विषय के साथ हिन्दी/अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में शिक्षा और परीक्षा में हिन्दी माध्यम के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा उपाधि स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी या (I) स्नातक उपाधि स्तर पर हिन्दी तथा अंग्रेजी मुख्य विषय या परीक्षा में माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी मुख्य विषय या हिन्दी माध्यम के साथ अंग्रेजी मुख्य विषय ; और (II) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय या सरकारी उपक्रम में हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती का तरीका: क्या भर्ती सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति से और पद या प्रतिनियुक्ति का प्रतिशत जिन्हें विभिन्न तरीकों से भरा जाना है	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी संरचना	ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो
11	12	13	14
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) में निम्नलिखित सदस्य हैं :— 1. निदेशक, नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता—अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

13

2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
नेशनल लाइब्रेरी,
कोलकाता—सदस्य
3. प्रधान पुस्तकालय एवं
सूचना अधिकारी,
नेशनल लाइब्रेरी,
कोलकाता—सदस्य

[सं. एफ 10-6/96-लिब.]

सुदेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE

(Department of Culture)

New Delhi, the 5th February, 2002

G.S.R. 55. —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Library, Calcutta (Hindi Translator) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Hindi Translator in the Ministry of Tourism and Culture, Department of Culture, National Library, Calcutta, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Tourism and Culture, Department of Culture, National Library, Calcutta, Junior Hindi Translator Group 'C' Post Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** —The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
Junior Hindi Translator	01* (2002)	General Central Service, Group 'C' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Not applicable	27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case

*Subject to variation dependent on workload.

7
of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) from time to time. **Note 1.** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J & K State, Lahaul & Spiti District Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2.** In the case of posts filled through Employment Exchange/ Staff Selection Commission the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date upto which Employment Exchange/ Staff Selection Commission are asked to submit the names.

8	9	10	11
Master's Degree of a Recognised University Hindi/English with English/Hindi as a main subject at the degree level; Or Master's Degree of a Recognised University in any subject with Hindi as the medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at the degree level; Or (i) Bachelor's Degree with Hindi and English	Not applicable	Two years	Direct recruitment

8		
as main subjects or either of the two as medium of examination and other as a main subject; and (ii) Diploma/certificate course in translation from Hindi to English and vice versa from a recognised Institution or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the office of the Central or State Government or Govt. Undertakings.		
12	B	H
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Director, National Library Kolkata —Chairman 2. Senior Administrative Officer, National Library Kolkata —Member 3. Principal Library and Information Officer, National Library Kolkata —Member	Consultation with UPSC not necessary.

[No. F. 10-6/96-Lib.]

SUDESH KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.